PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Friday 4th January 2013, Page: 1
Width: 13.80 cms, Height: 11.47 cms, a4, Ref: pmin.2013-01-04.44.14

तबाही का कारण बन रहे दवा परीक्षण, सोई है सरकारः सुप्रीम कोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 3 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के नागरिकों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपरीक्षित दवाओं का गैरकानूनी तरीके से परीक्षण रोकने में सरकार की विफलता के लिए उसे आड़े हाथों लिया है। अदालत ने गुरुवार को कहा कि दवाओं के ये परीक्षण देश में बर्बादी ला रहे हैं। जिसकी वजह से अनेक नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार इस मसले पर अभी भी गहरी नींद में है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गैरकानूनी तरीके से किए जा रहे परीक्षणों के इस धंधे को रोकने के लिए समुचित तंत्र स्थापित करने में नाकाम रही है।

अदालत ने इसके साथ ही निर्देश दिए कि देश में अब सभी दवाओं के परीक्षण केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव की देखरेख में ही होंगे। न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील से कहा-देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना आपका काम है। यह आपका दायित्व है। मौतों पर अंकुश पाना ही होगा और गैर कानूनी परीक्षण रोकना होगा। अदालत ने कहा कि सरकार को तत्काल इस समस्या से निबटना होगा।

जजों ने कहा-सरकार गहरी नींद में है। यह जानकर हमें दुख होता है कि ये कंपनियां हमारे देश के बच्चों को बलि का बकरा बना रही हैं। आप संसदीय समिति का भी सम्मान नहीं करते हैं। जिसने कहा था कि ये कंपनियां इस तरह का धंधा चला रही हैं और आप हमें नियमों का प्रारूप दिखा रहे है। जजों ने ये टिप्पणियां उस वक्त की जब अतिरिक्त महान्यायवादी सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में नियम बनाने पर विचार कर रही है।

अदालत ने कहा कि अनियंत्रित तरीके से हो रहे ये परीक्षण देश में बर्बादी ला रहे हैं। इस मामले में कहीं तो अपकी जिम्मेदारी की झलक नजर आनी चाहिए। जजों ने सरकार की उस समय खिंचाई की जब उसने दलील दी कि इस मसले पर गौर करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है और इनके सुझाव मिलने पर अदालत को सूचित किया जाएगा। इस पर जजों ने कहा- आप तो अदालत में वापस आ सकते हैं लेकिन ऐसे परीक्षणों में जान गंवाने वाले व्यक्तियों का क्या होगा। जान गंवाने वाले व्यक्ति तो वापस नहीं आ सकते हैं। समिति और आयोग गठित करना बहुत आसान है। यह तो सिर्फ मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। यह अहम मुद्दों से ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका है।

Regulatory. 1